मध्यप्रदेश शासन
जल संसाधन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल – 462004

क्रमांक एफ 16–53/2016/पी–2/31 भोपाल, दिनांक / /2016

प्रति,

1– श्री हेमन्त श्रीवास्तव (सेवानिवृत्त),
तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी
जल संसाधन उपसंभाग, ईसागढ़

2– श्री एन.पी. शर्मा (सेवानिवृत्त),
तत्कालीन उपयंत्री
जल संसाधन उपसंभाग, ईसागढ़

3– श्री जी.पी. सोनी (सेवानिवृत्त),
तत्कालीन उपयंत्री
जल संसाधन उपसंभाग, ईसागढ़

द्वारा:– प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, भोपाल।

विषय:–संयुक्त विभागीय जॉच विरूद्ध–श्री हेमन्त श्रीवास्तव (सेवानिवृत्त) तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग, ईसागढ़ एवं अन्य 02 म.प्र.।

आपको एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि राज्य शासन द्वारा आपके विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 के नियम–9 के अंतर्गत विभागीय जॉच संस्थित करने का निर्णय लिया गया है। जिन अवचारों एवं कदाचारों के आधार पर यह कार्यवाही प्रस्तावित है उनका विवरण आरोप पत्र एवं अभिकथन पत्र में दिया गया है तथा जिन दस्तावेजों एवं साक्ष्य पर यह आरोप आधारित है उनका उल्लेख संलग्न अभिलेख सूची एवं गवाहों की सूची में दिया गया है।

2/– मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम–18 सहपठित नियम–14 अंतर्गत एतद् द्वारा यह आरोप पत्र, अभिकथन पत्र, अभिलेखों की सूची एवं गवाहों की सूची आपको भेजते हुए आपसे अपेक्षा है कि अधिरोपित आरोपों के विरूद्ध जो भी अभ्यावेदन या बचाव कथन देना चाहें उसे इस पत्र की प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर शासन को प्रस्तुत करें।

यह भी सूचित करें कि :–

(अ) क्या आप स्वयं उपस्थित होकर कुछ निवेदन करना चाहते है।

(ब) क्या आप मौखिक जॉच कराना चाहते है।

(स) क्या आप अपनी ओर से साक्ष्य एवं अभिलेख आदि प्रस्तुत करना चाहते है। यदि हॉ तो उसका विवरण प्रस्तुत करें।

3/– आपकी ओर से प्रतिवाद का लिखित अभिकथन समयावधि में प्राप्त न हो तो यह मानकर कि आपको अपने बचाव के लिए कुछ नहीं कहना है, एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

4/– कृपया इस पत्र की प्राप्ति की पावती भेजें।

संलग्न:– 1. आरोप पत्र 2. अभिकथन पत्र
3. अभिलेखों की सूची 4. गवाहों की सूची

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.एस. जादौन)
उप सचिव
म.प्र. शासन,जल संसाधन विभाग

पृ. क्रमांक एफ 16–53/2016/पी–2/31 भोपाल, दिनांक 21/11/2016

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, भोपाल।
2. संचालक, डॉटा सेंटर, जल संसाधन विभाग, भोपाल। कृपया विभाग की वेबसाईट पर सूचना पत्र को प्रदर्शित करने का कष्ट करें।

सह-आरोप पत्रादि.

उप सचिव
म.प्र. शासन,जल संसाधन विभाग

C:\Users\hcl\Documents\KHAN--Application.doc

मध्यप्रदेश शासन
जल संसाधन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल – 462004

श्री जी.पी. सोनी (से.नि.) तत्का. उपयंत्री, जल संसाधन उपसंभाग ईसागढ के विरूद्ध

आरोप पत्र

जब आप दिनांक 01.12.2005 से निरन्तर, जल संसाधन उपसंभाग ईसागढ में उपयंत्री के पद पर कार्यरत है, उक्त अवधि मे आपके द्वारा की गई अनियमितता के लिये आपके विरुद्व निम्नानुसार आरोप अधिरोपित किये जाते है :–

आरोप क्र. 1 :– आपके द्वारा सक्षम अधिकारी की विधिवत अनुमति एवं स्वीकृति लिये बिना एवं विभागीय नियमो का पालन न करते हुये शाहपुर पिपरिया योजना एवं इंदौर योजना मे कुल 53,80,800/– का व्यय, पीसवर्क के माध्यम से किया गया।

समस्त पीसवर्क पद्धति से कराये जाने वाले कार्य हेतु शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया, इस प्रकार पीसवर्क पर आपके द्वारा अनियमित व्यय कर वित्तीय अनियमितता की गई है। विस्तृत विवरण अभिकथन पत्रक में दिया गया है।

आरोप क्रमांक 2 :–

आपके व्दारा माप पुस्तिकायें उपसंभाग कार्यालयों व्दारा जारी करने में विधिवत कार्यवाही नहीं की गई एवं माप पुस्तिकाओं के संधारण नियमानुसार नहीं किया गया जिसके कारण माप पुस्तिकायें उपलबध नहीं हो रही हैं । शासकीय अभिलेखो का समुचित संधारण एवं रख रखाव आपके व्दारा न किया जाकर पदीय दायित्वों का उल्लंघन किया गया है । विस्तृत विवरण अभिकथन पत्रक में दिया गया है ।

इस प्रकार आपने म.प्र. कार्य विभाग नियमावली 1983 के परिशिष्ट 1.28 में उल्लेखित कर्तव्यों का पालन न करके म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 का उल्लंघन कर म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 14 के अंतर्गत अपने आपको अनुशासनात्मक कार्यवाही का भागी बना लिया है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.एस. जादौन)
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन
जल संसाधन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
जल संसाधन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल — 462004

श्री जी.पी. सोनी (से.नि.) तत्का. उपयंत्री, जल संसाधन उपसंभाग ईसागढ़ के विरुद्ध

अभिकथन पत्रक

जब आप दिनांक 01.12.2005 से निरन्तर, जल संसाधन उपसंभाग ईसागढ़ में उपयंत्री के पद पर कार्यरत थे, उक्त अवधि में आपके द्वारा की गई अनियमितता के लिये आपके विरुद्ध अधिरोपित आरोप से संबंधित अभिकथन निम्नानुसार है :–

आरोप क्रमांक 1 :–आपके द्वारा सक्षम अधिकारी की विधिवत अनुमति एवं स्वीकृति लिये बिना पीसवर्क पर कराये गये कार्यो का माप पुस्तिका में लेबिल के अनुसार दर्ज नहीं किया गया। योजना के किस भाग में कार्य कराया गया है, माप पुस्तिका में अंकित नहीं है योजनाओं में किये गये व्यय में विभागीय प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है जिससे पीसवर्क से किया गया भुगतान स्वीकार योग्य न होकर अनियमित भुगतान है।

शाहपुर पिपरिया में नहर के निर्माण कार्य हेतु पीसवर्क पद्धति से फिलिंग रीच में कार्य कराया जाना बताया गया है, जबकि स्थल पर नहर के सेक्शन अपूर्ण पाये गये। नहर का निर्माण वर्तमान में भी अपूर्ण स्थिति में है। (कुल पीसवर्क कार्य रुपये 23,80,762/–)

इंदौर योजना में मिट्टी का कार्य रिपल की खुदाई पिचिंग इत्यादि में पीसवर्क के कुल रुपये 30,00,038/–. का कार्य कराया जाना बताया गया, जबकि यह कार्य निविदा से वर्ष 2015–16 में पूर्ण किया गया है।

आरोप क्रमांक 2 :– आपके द्वारा माप पुस्तिकायें उपसंभाग कार्यालयों द्वारा जारी करने में विधिवत कार्यवाही नहीं की गई एवं माप पुस्तिकाओं के संधारण नियमानुसार नहीं किया गया । माप पुस्तिका क्रमांक 337 जिनमें आपके उपसंभाग के कार्यों का माप दर्ज किया जाना पाया गया लेकिन उनकी उपलब्धता नहीं पाई गई ।

इस प्रकार आपने म.प्र. कार्य विभाग नियमावली 1983 के परिशिष्ट 1.28 में उल्लेखित कर्तव्यों का पालन न करके म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 का उल्लंघन कर म.प्र.सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 केनियम 14 के अंतर्गत अपने आपको अनुशासनात्मक कार्यवाही का भागी बना लिया है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

18/11/15

(आर.पी.एस. जादौन)
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन
जल संसाधन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
जल संसाधन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल – 462004

श्री जी.पी. सोनी (से.नि.) तत्का. उपयंत्री, जल संसाधन उपसंभाग ईसागढ़ के विरुद्ध

अभिलेखों की सूची

1) पीसवर्क पद्धति से कराये गये कार्यो का विवरण पत्रक।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.एस. जादौन)
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन
जल संसाधन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
जल संसाधन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल — 462004

श्री जी.पी. सोनी (से.नि.) तत्का. उपयंत्री, जल संसाधन उपसंभाग ईसागढ़ के विरूद्ध

गवाहों की सूची

(1) श्री कृष्ण गोपाल सिंह, अधीक्षण यंत्री, जल संसाधन मण्डल, गुना।

2) कुँ अमृता सिंघई, संलग्न अधिकारी जल संसाधन संभाग अशोकनगर।

3) श्री बी.सी.कोली, वरिष्ठ लेखा लिपिक, जल संसाधन संभाग अशोकनगर।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

18/11/1

(आर.पी.एस. जादौन)
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन
जल संसाधन विभाग